

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक:-एफ.1(7)(01078)डीपीसी/सान्याअवि/2026/

जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

::आदेश::

प्रशासनिक अधिकारी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.05.2024 एवं बैठक दिनांक 06.08.2024 में डेफर रखे गये कार्मिकों के अभिलेख पूर्ण हो जाने के उपरान्त पदोन्नति दिये जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.05.2026 में समिति द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (एल-11) से प्रशासनिक अधिकारी (एल-12) के पद पर निम्नानुसार राजसेवक को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से पदोन्नति चयन की अभिशंषा किये जाने फलस्वरूप नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पदोन्नति हेतु चयन दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री घीसाराम	SC	2023-24 / 01.04.2023	सेवानिवृति दिनांक 31.07.2024
2.	श्रीमती नन्दा मेघानी	UR	2024-25 / 01.04.2024	-

क्र.स. 02 पर पदोन्नत राजसेवक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण दिनांक से देय होगा। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(7)(01078)डीपीसी/सान्याअवि/2026/

जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक/आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सान्याअवि, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
7. संयुक्त निदेशक (आई.टी) को ई-मेल/वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक
.....।
9. संस्थापन प्रशाखा (पी-3) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेत
10. संबंधित कार्मिक श्री/सुश्री/श्रीमती.....।
11. व्यक्तिगत पत्रावली श्री।
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव